संख्या- 63/2019/1235/छप्पन-2019-11/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2019

विषय: अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-176/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 19 जून, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या स्थिति हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए अवशेष धनराशि रू0 4,40,26,96,501/- (रुपया चार अरब चालीस करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार पांच सौ एक मात्र) के सापेक्ष रू0 2,00,00,00,000/- (रुपया दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु अनुमानित लागत लगभग रु0 6,40,26,96,501/- (रुपया छः अरब चालीस करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार पांच सौ एक मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए जिलाधिकारी, अयोध्या के पक्ष में भूमि क्रय से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु शासनादेश संख्या-25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च, 2019 द्वारा रू0 2,00,00,00,000/- (रुपया दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। श्री राज्यपाल अवशेष धनराशि रू0 4,40,26,96,501/- (रुपया चार अरब चालीस करोड़ छब्बीस लाख छियानवे हजार पांच सौ एक मात्र) के सापेक्ष रू0 2,00,00,00,000/- (रुपया दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 2,00,00,00,000/- (रुपया दो अरब मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) जिलाधिकारी, अयोध्या और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के निमित्त ही व्यय की जाएगी।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएग।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,00,00,00,000/- (रुपया दो अरब मात्र) को निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- कृपया भूमि के क्रय/अर्जन हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, अयोध्या से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाषीर्शक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमान पत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(1) में प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 63/2019/1235(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।